

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं. 15/25	धारा अंतर्गत इजराय RTA	ग्राम समली	तहसील छबडा
वादी संग्राम सिंह	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी राजु	
वकील :- श्री जितेन्द्र जैन	आदेश पत्रक कार्यवाही एवं आदेश	वकील:-	
दिनांक		विविध संदर्भ	

23.04.2025

अभिभाषक डिक्रीदार द्वारा इजराय न्याया0 में पेश की गई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। यदि इस प्रकरण में किसी अन्य अपर कोर्ट से स्थगन आदेश न हो तो मुताबिक डिक्री पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को लिखा जावे। पत्रावली वास्ते पालना रिपोर्ट दिनांक 21.05.2025 को पेश हो।

*[Signature]*

21.5.25

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30.5.25 को पेश हो।

*[Signature]*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबडा (बारा)

30.5.25

पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपा तहसील के पालन रिपोर्ट रजिस्ट्रार पुनः हमल पत्र लिखा जावे। पत्रावली वास्ते पालन रिपोर्ट दिनांक 11.6.25 को पेश हो।

11.6.25

पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपा तहसील के पालन रिपोर्ट रजिस्ट्रार पुनः हमल पत्र लिखा जावे। पत्रावली वास्ते पालन रिपोर्ट दिनांक 25.6.25 को पेश हो।

25.6.25

पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपा तहसील के पालन रिपोर्ट जफ्त को शा. वि. की तहसील डार हकत द्वारा उलाबिडे डिक्री नम्बर 196 दिनांक 2-6-25 दर्ज कर पालन की जा चुकी है। प्रकरण हेतु किसी प्रकार की कोर्ट कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण ड्रॉप किया जाय है। पत्रावली केवल उपात केवल वास तहसील वकील के द्वारा पेश हो।